कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

PWD Uttarakhand

*Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand*

**Phone & Fax:- 0135-2530467,2532431 E-Mail-cepwdua@rediffmail.com**

**Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd**

पत्रांक :– 1404 /28व्यघ–सा0/14 दिनांक 14/08/2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून ।

विषयः– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यॉत्रिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदो के अधियाचन के प्रेषण के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यॉत्रिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा रहा है। प्रेषित अधियाचनों में सिविल/प्राविधिक के पदों में जून/2015 तक की सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के 30 पद है, जो सामान्य श्रेणी के है, 05 पद सेवानिवृत्त एवं 25 पद पदोन्नति से है तथा कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक के 06 पद है, जो सामान्य श्रेणी के है, जिसमें 01 पद सेवानिवृत्त एवं 05 पद पदोन्नति से है, सभी पदों की गणना रोस्टर के अनुसार कर दी गई है, प्रेषित अधियाचन का विवरण निम्नवत् है:–

1. <u>कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का विवरण</u>

| सीधी भर्ती के स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | सम्भावित रिक्त पद | कुल रिक्त पद 3+4 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 894 | 675 | 219 | 30 | 249 | शेष 219 पद तथा 30 सम्भावित रिक्त पद =249 पदों का अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित 130 पदों के अधियाचन को भी उपरोक्त अधियाचन में सम्मिलित किया गया है। |

2. <u>कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का विवरण</u>

| सीधी भर्ती के स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | सम्भावित रिक्त पद | कॉलम 3 व 4 का योग | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 27 | 20 | 06 | 26 | शेष 20 पद तथा 06 सम्भावित रिक्त पद =26 पदों का अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित 08 पदों के अधियाचन को भी उपरोक्त अधियाचन में सम्मिलित किया गया है। |

3. कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) का विवरण

| सीधी भर्ती के स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 57 | 47 | 10 | 10 पदों का अधियाचन शासन को प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित 02 पदों के अधियाचन को भी उपरोक्त अधियाचन में सम्मिलित किया गया है। |

4. कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) का विवरण

| सीधी भर्ती के स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 42 | 33 | 09 | 09 पदों का अधियाचन शासन को प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित 05 पदों के अधियाचन को भी उपरोक्त अधियाचन में सम्मिलित किया गया है। |

अवगत कराना है कि पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या– 710/26व्यय–स्ता0/13 दिनांक 29.7.2013 एवं पत्र संख्या– 718/26व्यय–स्ता0/13 दिनांक 31.7.2013 किये गये सिविल/विद्युत/ यांत्रिक/प्राविधिक के अधियाचन को भी उपरोक्त अधियाचन में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय राजामार्ग खण्ड चम्बा/श्रीनगर खण्ड हेतु स्वीकृत 12 X 2=24 पदों को भी रिक्त मानते हुए अधियाचन में सम्मिलित किया गया है। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा जिनकी 31.12.2013 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी है का शासनादेश दिनांक 31.12.2013 की प्रख्यापित नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही होनी है, जिनकी संख्या 38 है, जिस हेतु संलग्न अधियाचन में पद रिक्त नहीं छोड़े गये है।

संलग्न–कनिष्ठ अभियन्ता (सि0/प्रा0/वि0/यॉ0)
का अधियाचन ।

(ललित मोहन)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

13/8

## अधियाचन प्रपत्र–1

| | |
|---|---|
| 1(क) पद का नाम | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)<br>कुल स्वीकृत पद – 941<br>सीधी भर्ती के पद – 894<br>पदोन्नति के पद @ 5%–47 |
| (ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था–<br>यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ– | शासनादेश सं0 1768/III( )/11–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 12.12.11,<br>शासनादेश सं0 2795/III( )/13–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 26.12.2013,<br>शासनादेश सं0 502/III( )/14–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 टी0सी0 दिनांक 19.05.2014,<br>शासनादेश सं0 1286/III( )/14–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 30.06.2014, |
| (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है– | जी हाँ, वर्ष 2004, 2011 एवं 2013 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है। |
| (2) यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है– | वर्ष 2004,2011 एवं 2013 से |
| (3)क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उदधृत किया जाये– | उपरोक्तानुसार |
| (4) यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही की जा सकी– | – |
| (I) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र मे है– | जी हाँ। |
| (II) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा। |
| (III) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है– | जी हाँ। |
| (ग) स्वीकृत पदों की संख्या– | 941–47*=894<br>*5% प्रतिशत कोटे के अर्न्तगत पदोन्नति के पद |
| (घ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल सं0– | 675–30**=645<br>(30**जून 2015 तक सम्भावित रिक्त) |
| (ङ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल सं0– | 219+30** 249(30**जून 2015 तक सम्भावित रिक्त) |
| (च) भरे जाने वाले पदो की सं0– | 249 |
| (1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 38 |
| (2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 10 |
| (3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये– | 25 |
| (4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये– | 176 |

| | |
|---|---|
| (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तियां प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। | हॉं, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–1454 / कार्मिक–2–2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. अनु0जाति का रोस्टर क्रमांक :–<br>41 51,56,61,66,71,76,81,86,93,1,6,11,16,21,26,31,<br>36,41,46,51,56,61,66,71,76,81,86,93,1,6,11,16,21,<br>26,31,36,41,46<br>2. अनुसूचित जन जाति का रोस्टर:–<br>72,96,24,48,72,96,24,48,72,96<br>3. अन्य पिछड़ा वर्ग का रोस्टर क्रमांक:–<br>,19,28,35,42,49,54,63,70,77,84,91,98,7,14,19,28,35,42,49,54,63,70,7784,91<br>35 |
| (ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जाये– | – |
| (1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये– | 74 |
| (2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | 05 |
| (3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिये– | 07 |
| (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (ख) श्रवन ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | हॉं |
| (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निशक्तता या प्रमस्तिकीय अपंगता के लिये– | हॉं |
| टिप्पणी:– शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए। | – |
| (4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये– | 12 |
| (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये– | – |
| (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| 2– क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ? | हॉं। |
| 3– क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | अराजपत्रित। |
| 4– क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक पद चलता रहेगा | स्थायी। |

| | |
|---|---|
| 5– पद का वेतनमान – (बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 6– क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक– | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 7– क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का– | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 8– परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– | 02 वर्ष |
| 9– पद के कर्तव्य– | मार्ग/सेतु/भवन कार्यों का निर्माण /रखरखाव एवं टैक्नीकल कार्य । |
| 10– चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा– | नियुक्ति के एक माह के अन्दर। |
| 11– क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है? | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 12– कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे नि: शुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि। | जी नही। |
| 13– अपेक्षित अर्हतायें– | |
| (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित है– | डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। |
| (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–<br>(क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ,या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो,और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| (ग) कोई अन्य अर्हताएं– | कोई नही। |
| (घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है– | जी नही। |
| (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए– | जी नही। |
| 14– पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है– | शासनादेश संख्या– 3295/ III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |
| टिप्पणी:– सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की पूर्ण प्रतियाँ संलग्न की जाय। | |
| 15– आयु सीमायें– | उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 |
| (क) निम्न आयु सीमा– | 21 वर्ष। संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004 |
| (ख) अधिकतम आयु सीमा– | 42 वर्ष। दिनांक 25.02.2014,के अनुसार – |
| (ग) क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस–किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है– | शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष का शिथिलीकरण।<br>शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष का शिथिलीकरण |
| (घ) आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय– | भर्ती वर्ष के प्रथम जुलाई को आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष। |
| 16– अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है। | भारतीय । |

| | |
|---|---|
| | |
| [illegible]– अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है– | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:<br>परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। |
| 18– अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।<br>टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। |
| 19– अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र |
| 20– क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हॉं तो पुरूष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय | जी नहीं। |
| 21– क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हॉं, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तो को बताइये, जो उनके पदों में शिथिल की जायेगी। | आयु सीमा के अन्तर्गत योग्यताधारक पात्र है। |
| 22– क्या अधियाचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय– | हॉं, शासनादेश संख्या– 3296 / II(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |

दिनांक

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम (प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पद नाम........लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता ( सिविल ) के विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदो की संख्या –941
सीधी भर्ती के पद–894
पदोन्नति के पद@ 05%-47

| क्र0सं0 | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | महिला 30% | विकलांग 3% | भू0पु0 सैनिक 5% | स्व0सं0सै0 आश्रित 2% | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अनारिक्षत 63 % | 563 | 417-30**=387 | 146+30**=176 | 53 | 5 | 9 | 4 | 71 |
| 2 | अनुसूचित जाति 19% | 170 | 132 | 38 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति0 04% | 36 | 26 | 10 | 3 | – | – | – | 3 |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 125 | 100 | 25 | 7 | 1 | 1 | – | 9 |
| | योग | 894 | 645 | 249 | 74 | 7 | 12 | 5 | 98 |

नोट– ** जून 2015 तक की 30 सम्भावित रिक्तियों को अधियाचन में सम्मिलित किया गया है ।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

अधियाचन प्रपत्र–1

| | |
|---|---|
| 1(क) पद का नाम | कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)<br>कुल स्वीकृत पद– 94<br>सीधी भर्ती के पद– 47<br>पदोन्नति के पद @ 50%– 47 |
| (ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था–<br>यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ– | शासनादेश संख्या–1768/III(I)/11–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 12.12.11, शासनादेशसं01268/III(I)/14–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 30.06.2014. |
| (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है– | जी हाँ, वर्ष 2011 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है। |
| (2) यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है– | वर्ष 2011 से |
| (3)क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये– | उपरोक्तानुसार |
| (4) यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही की जा सकी– | – |
| (I) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र मे है– | जी हाँ। |
| (II) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा। |
| (III) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है– | जी हाँ। |
| (ग) स्वीकृत पदों की संख्या– | 94–47*=47<br>*50% प्रतिशत कोटे के अर्न्तगत पदोन्नति के पद |
| (घ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल सं0– | 27 –6**=21<br>(6**जून 2015 तक सम्भावित रिक्ति ) |
| (ङ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल सं0– | 20+6**=26 (*जून 2015 तक सम्भावित रिक्ति ) |
| (च) भरे जाने वाले पदों की सं0– | 26 |
| (1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 03 |
| (2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये– | – |
| (3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये– | 03 |
| (4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये– | 20 |
| (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तियां प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। | हाँ, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. अनुसूचित जाति का रोस्टर क्रमांक :– 31,41,46<br>2. अन्य पिछड़ा वर्ग का रोस्टर क्रमांक :– 35,42,49 |
| (ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो के लिये श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जाये– | |
| (1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियो के लिये– | 06 |
| (2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिये– | 1 |

| | |
|---|---|
| ...नता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| ...श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | हाँ |
| ...चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अपंगता के लिये– | हाँ |
| ...टिप्पणी– शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए। | – |
| (4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये– | 01 |
| (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये– | – |
| (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| 2– क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ? | हाँ। |
| 3– क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | अराजपत्रित। |
| 4– क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा– | स्थायी। |
| 5– पद का वेतनमान – (बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 6– क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक– | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 7– क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का– | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 8– परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– | 02 वर्ष |
| 9– पद के कर्तव्य– | मार्ग/सेतु/भवन कार्यो का निर्माण/रखरखाव एवं टैक्नीकल कार्य । |
| 10– चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा– | नियुक्ति के एक माह के अन्दर। |
| 11– क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है? | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 12– कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे कि शुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि। | जी नही। |
| 13– अपेक्षित अर्हतायें– | |
| (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित है– | डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। |
| (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–<br>(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी0' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| (ग) कोई अन्य अर्हताएं– | कोई नही। |
| (घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है– | जी नही। |
| (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए– | |
| 14– पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है– | शासनादेश संख्या– 3295/III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |
| टिप्पणी:– सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की पूर्ण प्रतियॉ संलग्न की जाय। | |
| 15– आयु सीमायें– | |

| | |
|---|---|
| —आयु सीमायें— | उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 |
| (क) निम्न आयु सीमा— | 21 वर्ष। संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004 |
| (ख) अधिकतम आयु सीमा— | 42 वर्ष। दिनांक 25.02.2014 के अनुसार |
| (ग) क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस–किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है— | शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष का शिथिलीकरण।<br>शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष का शिथिलीकरण। |
| (घ) आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय— | भर्ती वर्ष के प्रथम जुलाई को आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष। |
| 16— अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है— | भारतीय। |
| 17— अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है— | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:<br>परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। |
| 18— अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है— | सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।<br>टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। |
| 19— अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थ्यता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है— | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र |
| 20— क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हाँ तो पुरूष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय | जी नहीं। |
| 21— क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हाँ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तो को बताइये, जो उनके पदों में शिथिल की जायेगी। | आयु सीमा के अन्तर्गत योग्यताधारक पात्र है। |
| 22— क्या अधियाचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए— | हाँ, शासनादेश संख्या— 3295/।।(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |

दिनांक

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम (                )

पद नाम मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता ( प्राविधिक) के विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदो की संख्या –94

सीधी भर्ती के पद–47

पदोन्नति के पद@ 50%-47

| क0सं0 | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | महिला 30% | विकलांग 3% | भू0पू0 सैनिक 5% | स्व0सं0से0 आश्रित 2% | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अनारक्षित 63 % | 29 | 15-6**=9 | 14+6=20 | 6 | 1 | 1 | - | 8 |
| 2 | अनुसूचित जाति 19% | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति0 04% | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| | योग | 47 | 21 | 26 | 8 | 1 | 1 | - | 10 |

नोट–** जून 2015 तक की 06 सम्भावित रिक्तियों को अधियाचन में सम्मिलित किया गया है

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

अधियाचन प्रपत्र–1

| | |
|---|---|
| 1(क) पद का नाम | कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)<br>कुल स्वीकृत पद– (60)<br>सीधी भर्ती के पद– (57)<br>पदोन्नति के पद – 5% (3) |
| (ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था–<br>यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ– | शासनादेश स0 1768/III(I)/11–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 12.12.11,द्वारा सृजित |
| (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है– | जी हाँ, वर्ष 2013 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है। |
| (2) यदि हाँ, तो वह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है– | वर्ष 2013 से |
| (3)क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उदधृत किया जाये– | उपरोक्तानुसार |
| (4) यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही की जा सकी– | – |
| (I) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र मे है– | जी हाँ। |
| (II) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा। |
| (III) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है– | जी हाँ। |
| (ग) स्वीकृत पदों की संख्या– | 60–3*=57<br>*5% प्रतिशत कोटे के अर्न्तगत पदोन्नति के पद |
| (घ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल स0– | 47 |
| (ङ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल स0– | |
| (च) भरे जाने वाले पदों की सं0– | 10 |
| (1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 10 |
| (2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 2 |
| (3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये– | – |
| (4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये– | 1 |
| | 7 |
| (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तियां प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाए। | हाँ, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. अनु0जाति का रोस्टर क्रमांक :– 46,51<br>2. अन्य पिछड़ा वर्ग का रोस्टर क्रमांक–54 |
| (ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो के लिये श्रेणीवार रिक्तियो का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जाये– | – |
| (1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियो के लिये– | |
| (2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | 03<br>– |
| (3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | |
| (ख) श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| | – |
| (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिये– | – |

| | |
|---|---|
| के लिये– | |
| (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (ख) श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | हॉं |
| (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिये– | हॉं |
| टिप्पणी:– शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए। | – |
| (4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये– | – |
| (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये– | – |
| (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| 2– क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ? | हॉं। |
| 3– क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | अराजपत्रित। |
| 4– क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा– | स्थायी। |
| 5– पद का वेतनमान – (बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 6– क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हॉं, तो किस हद तक– | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 7– क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का– | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पें0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 8– परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– | 02 वर्ष |
| 9– पद के कर्तव्य– | भवनों के विद्युतीकरण के कार्य |
| 10– चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा– | नियुक्ति के एक माह के अन्दर। |
| 11– क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है? | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पें0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 12– कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे कि शुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि। | जी नही। |
| 13– अपेक्षित अर्हतायें– | |
| (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित है– | डिप्लोमा इन विद्युत इंजीनियरिंग। |
| (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–<br>(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ,या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो,और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| (ग) कोई अन्य अर्हताएं– | कोई नही। |
| (घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है– | जी नही। |
| (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हॉं, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए– | |
| 14– पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है– | शासनादेश संख्या– 3295/III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |

विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के विभिन्न श्रेणीयो के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदो की संख्या

कुल स्वीकृत पदों की संख्या –60 सीधी भर्ती

सीधी भर्ती के पद– 57

पदोन्नति के पद@ 5% – 3

| क0सं0 | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | महिला 30% | विकलांग 3% | भू0पू0 सैनिक 5% | स्व0सं0सै0 आश्रित 2% | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अनारक्षित 63 % | 36 | 29 | 7 | 2 | - | - | - | 2 |
| 2 | अनुसूचित जाति 19% | 11 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | अनुसूचित ज0जाति0 04% | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| | योग | 57 | 47 | 10 | 3 | - | - | - | 3 |

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

# अधियाचन प्रपत्र–1

| | |
|---|---|
| 1(क) पद का नाम | कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)<br>कुल स्वीकृत पद– (44)<br>सीधी भर्ती के पद–(42)<br>पदोन्नति के पद – 5% (02) |
| (ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था–<br>यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ– | शासनादेश सं0 1768/III(I)/11–190 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 12.12.11,द्वारा सृजित |
| (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है– | जी हाँ, वर्ष 2004 एवं 2013 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है। |
| (2) यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है– | वर्ष 2004 एवं 2013 से |
| (3)क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये– | उपरोक्तानुसार |
| (4) यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही की जा सकी– | – |
| (I) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र मे है– | जी हाँ। |
| (II) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा। |
| (III) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है– | जी हाँ। |
| (ग) स्वीकृत पदों की संख्या– | 44–02*=42<br>*5% प्रतिशत कोटे के अर्न्तगत पदोन्नति के पद |
| (घ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल सं0– | 33 |
| (ङ) स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल सं0– | 09 |
| (च) भरे जाने वाले पदों की स0– | 09 |
| (1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जाति के अभ्यर्थियो के लिये– | 02 |
| (2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जनजाति के अभ्यर्थियो के लिये– | – |
| (3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये– | 01 |
| (4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये– | 06 |
| (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तिया प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। | हाँ, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. अनु0जाति का रोस्टर क्रमांक :– 41 |
| (ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो के लिये श्रेणीवार रिक्तियो का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जाये– | |
| (1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियो के लिये– | 02 |
| (2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी | – |

| | |
|---|---|
| के लिये– | |
| (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (ख) श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | हाँ |
| (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगता के लिये– | हाँ |
| टिप्पणी:– शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए। | – |
| (4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये– | – |
| (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये– | – |
| (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| 2– क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ? | हाँ। |
| 3– क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | अराजपत्रित। |
| 4– क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा– | स्थायी। |
| 5– पद का वेतनमान – (बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 6– क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक– | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 7– क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिन पेंशन का– | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 8– परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– | 02 वर्ष |
| 9– पद के कर्तव्य– | भवनों के विद्युतीकरण के कार्य |
| 10– चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा– | नियुक्ति के एक माह के अन्दर। |
| 11– क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है? | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 12– कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे निः शुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि। | जी नहीं। |
| 13– अपेक्षित अर्हतायें– | |
| (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित है– | डिप्लोमा इन विद्युत इंजीनियरिंग। |
| (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–<br>(क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ,या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो,और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| (ग) कोई अन्य अर्हताएं– | कोई नहीं। |
| (घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है– | जी नहीं। |
| (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए– | |
| 14– पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है– | शासनादेश संख्या– 3295/III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |
| टिप्पणी:– सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की | |

| | |
|---|---|
| पूर्ण प्रतियाँ संलग्न की जाय। | |
| 15– आयु सीमायें– | उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 |
| (क) निम्न आयु सीमा– | **21 वर्ष।** संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004 |
| (ख) अधिकतम आयु सीमा– | **42 वर्ष।** दिनांक 25.02.2014,के अनुसार |
| (ग) क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस–किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है– | शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष का शिथिलीकरण।<br>शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष का शिथिलीकरण। |
| (घ) आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय– | भर्ती वर्ष के प्रथम जुलाई को आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष। |
| 16– अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है– | भारतीय। |
| 17– अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है– | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:<br>परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। |
| 18– अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।<br>टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें। |
| 19– अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र |
| 20– क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हाँ तो पुरूष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय | जी नहीं। |
| 21– क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हाँ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तों को बताइऐ, जो उनके पदों में शिथिल की जायेगी। | आयु सीमा के अन्तर्गत योग्यताधारक पात्र है। |
| 22– क्या अधियाचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय– | हाँ, शासनादेश संख्या– 3295/III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |

दिनांक

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम ( )

पद नाम प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

## विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के विभिन्न श्रेणीयो के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदो की संख्या –44 सीधी

सीधी भर्ती के पद– 42

पदोन्नति के पद @ 5 %– 2

| क्र०सं० | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | महिला 30% | विकलांग 3% | भू०पू० सैनिक 5% | स्वा०सं०से० आश्रित 2% | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अनारक्षित 63 % | 26 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | 2 |
| 2 | अनुसूचित जाति 19% | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | अनुसूचित ज०जाति० 04% | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| | योग | 42 | 33 | 9 | 2 | - | - | - | 2 |

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रपत्र-7

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

*OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND*

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक: 2335/28 व्यव–सामान्य/15 दिनांक 19 /12/2015

सेवा में,

सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय:– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती के रिक्त पदो के अधियाचन के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1404/28 व्यव–सा0/14 दिनांक 14.08.14 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती का अधियाचन जो शासन के पत्र संख्या–1577/III(1)/13–131(अधि0)/06 दिनांक 21.08.2014 से आयोग को प्रेषित किया गया है के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि वर्तमान में शासनादेश संख्या– 1813/III(1)/15–190(PWD)/2001 दिनांक 15.12.15 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के पूर्व में सृजित पदों की संख्या में पी0एम0जी0एस0वाई0 हेतु स्वीकृत पदो को घटाकर एवं 11 नव सृजित पद स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कुल 888 स्वीकृत पद हो गये है। उक्त 888 पदों में 05 प्रतिशत पदोन्नति के पदों को घटाकर सीधी भर्ती के 844 पद स्वीकृत है। पूर्व में स्वीकृत सीधी भर्ती के 924 पदों के सापेक्ष वर्तमान में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15.12.15 से सीधी भर्ती में 844 पद स्वीकृत होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.08.14 से आधिक्य पद का अधियाचन प्रेषित किया गया, जिसमें भरे पदों में सम्बन्धित अभ्यर्थी जिस आरक्षित वर्ग का है उसे उसी श्रेणी में दर्शाया गया, परन्तु अब जो संशोधित अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, उसमें सम्बन्धित अभ्यर्थी का लोक सेवा आयोग से जिस श्रेणी में चयन हुआ है, उसे उसी श्रेणी में रखते हुए भरे पद में दर्शाया गया है। अर्थात यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का चयन सामान्य पदो के सापेक्ष हुआ है तो उसे समान्य श्रेणी में रखा गया है ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग में।

वर्तमान में ऐसे 38 कनिष्ठ अभियन्ता संविदा भी कार्यरत है। जो विनियमितिकरण नियमावली 2013 से आच्छादित है, जिनके विनियमितिकरण की कार्यवाही भी गतिमान है। पूर्व में प्रेषित किये गये अधियाचन में इन कार्मिकों के लिए भी पद नहीं छोडे गये थे।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार यदि आयोग को प्रेषित अधियाचन में पदों को घटाया नही जाता है तो आयोग से चयनोपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के सापेक्ष आधिक्य कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हो जायेगें।

पूर्व में प्रेषित अधियाचन के क्रम में वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के स्वीकृत 844 पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती के श्रेणीवार रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन शासन को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः शासन से अनुरोध है कि उक्त अधियाचन को आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि विभाग में स्वीकृत पदो के सापेक्ष आधिक्य कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत न हो सके।

संलग्नः–अधियाचन।

19/12

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

## अधियाचन प्रपत्र–1

| | |
|---|---|
| 1(क) पद का नाम | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)<br>कुल स्वीकृत पद – 888<br>सीधी भर्ती के पद – 844<br>पदोन्नति के पद @ 5%–44 |
| (ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था–<br>यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ– | शासनादेश सं0 1813/II(I)/15-19-190(पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 15.12.15 |
| (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है– | जी हाँ, वर्ष 2004, 2011 एवं 2013 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है। |
| (2) यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है– | वर्ष 2004,2011 एवं 2013 से |
| (3)क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये– | उपरोक्तानुसार |
| (4) यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही की जा सकी– | – |
| (I) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है– | जी हाँ। |
| (II) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा। |
| (III) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है– | जी हाँ। |
| (ग) स्वीकृत पदों की संख्या– | 888–44*=844<br>*5% प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति के पद |
| (घ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल सं0– | 846-136=684 |
| (ङ) स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल सं0– | 160 |
| (च) भरे जाने वाले पदों की सं0– | 160 |
| (1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 33 |
| (2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 07 |
| (3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये– | 47 |
| (4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये– | 73 |
| (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तिया प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। | हाँ, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. अनु0जाति का रोस्टर क्रमांक :– 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 1, 6 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41<br>2. अनुसूचित जन जाति का रोस्टर–24, 48, 72, 96, 24, 48, 72<br>3. अन्य पिछड़ा वर्ग का रोस्टर क्रमांक– 98, 7, 14, 19, 28, 35, 42, 49, 54, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 7, 14, 19, 28, 35, 42, 49, 54, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 7, 14, 19, 28, 35, 42, 49, 54, 63, 70, 77, 84, 91 98, 7, 14, 19, 28 |

| | |
|---|---|
| ... आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, ... जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये श्रेणीवार रिक्तियों ... रुप नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार ... जाये– | – |
| (1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये– | 46 |
| (2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | 03 |
| (3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिये– | 18 |
| (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| (ख) श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | हाँ |
| (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिकीय अंगता के लिये– | हाँ |
| टिप्पणी:– शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए। | – |
| (4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये– | 5 |
| (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये– | – |
| (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| 2– क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ? | हाँ। |
| 3– क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | अराजपत्रित। |
| 4– क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा– | स्थायी। |
| 5– पद का वेतनमान – (वेतन बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | वेतन बैण्ड–2<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 6– क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक– | वेतन बैण्ड–2<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 7– क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का– | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 8– परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– | 02 वर्ष |
| 9– पद के कर्तव्य– | मार्ग/सेतु/भवन कार्यों का निर्माण /रखरखाव एवं टैक्नीकल कार्य। |
| 10– चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा– | नियुक्ति के एक माह के अन्दर। |
| 11– क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है? | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 12– कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे निःशुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि। | जी नहीं। |
| 13– अपेक्षित अर्हतायें– | |
| (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं– | डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। |
| (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–<br>(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| (ग) कोई अन्य अर्हताएं– | कोई नहीं। |
| (घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है– | जी नहीं। |
| (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए– | जी नहीं। |

| | |
|---|---|
| ...किस सेवा नियमावली से आच्छादित है– | शासनादेश संख्या– 3295/ III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |
| ...– सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी पूर्ण प्रतियाँ संलग्न की जाय। | |
| ...आयु सीमायें– | उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 |
| (क) निम्न आयु सीमा– | 21 वर्ष। संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004 |
| (ख) अधिकतम आयु सीमा– | 42 वर्ष। दिनांक 25.02.2014 के अनुसार – |
| (ग) क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस–किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है– | शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष का शिथिलीकरण।<br>शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष का शिथिलीकरण। |
| (घ) आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय– | भर्ती वर्ष के प्रथम जुलाई को आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष। |
| 16– अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है। | भारतीय । |
| 17– अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है– | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:<br>परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। |
| 18– अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।<br>टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे। |
| 19– अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थ्यता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र |
| 20– क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हाँ तो पुरुष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय | जी नहीं। |
| 21– क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हाँ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तो को बताइये, जो उनके पदों में शिथिल की जायेगी। | आयु सीमा के अर्न्तगत योग्यताधारक पात्र है। |
| 22– क्या अधियाचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय– | हाँ, शासनादेश संख्या– 3295/ III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
19/12

पूरा नाम– (आर0सी0 पुरोहित)
पद नाम–मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

*OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D.,*
*DEHRADUN, UTTARAKHAND*

**Website-http://pwd.uk.gov.in** E-Mail-eicpwduk@nic.in

## "प्रमाण– पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नगठन शासनादेश संख्या– 1813/III(1)/15–190(PWD)/2001 दिनांक 15.12.15 से कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के 888 पद स्वीकृत होने के फलस्वरूप पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1404/28 व्यघ–सा0/14 दिनांक 14.08.14 से प्रेषित रिक्त 249 पदों के अधियायन को संशोधित करते हुए रिक्त 160 पदों का श्रेणीवार ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया उक्त अधियाचन विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के श्रेणीवार पदो के सापेक्ष रिक्त पदो के आधार पर तैयार किया गया है। जिसमें 38 पद श्रेणीवार संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता संविदा के लिए भी छोड़े गये जो कार्यरत में सम्मिलित है।

19/12

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

19/12

6

## विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदों की संख्या– 888
सीधी भर्ती के पद–844
पदोन्नति के @05%–44

| क्र0 सं0 | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | रिक्त पदों में से विनियमितिकरण किये जाने हेतु छोड़ गये पद | कुल अवशेष रिक्त पद | महिला 30 % | विकलांग 3 % | भू0पू0 सैनिक 5 % | स्व0सं0से0 आश्रित 2 % | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अनारक्षित 63 % | 532 | 431 | 101 | 28 | 73 | 22 | 8 (अग्रेनित) +2 (घटित रिक्ति ) = 10 | 4 | 1 | 37 |
| 2 | अनुसूचित जाति 19 % | 160 | 122 | 38 | 5 | 33 | 10 | 3(अग्रेनित) +1(घटित रिक्ति) = 4 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति 04 % | 34 | 24 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1(अग्रेनित) | - | - | 3 |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 118 | 69 | 49 | 2 | 47 | 14 | 2(अग्रेनित) +1(घटित रिक्ति) =3 | 2 | 1 | 20 |
| | योग | 844 | 646 | 198 | 38 | 160 | 48 | 18 | 8 | 3 | 77 |

नोट–1. कॉलम संख्या– 6 मेंजो पद छोड़े गये है उन पदों पर विनियमितिकरण की कार्यवाही गतिमान है।
2. पूर्व में स्वीकृत पदो के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत विकलांग कोटे के घटित रिक्तियों को अग्रेनित करते हुए अधियाचन में सम्मिलित किया है।

19/1/22
(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
लोक निर्माण विभाग
19/1/2

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–537/28 व्यघ–सा0/16 दिनांक 13/04/2016

सेवा में,

सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

**विषयः–** **लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदो के अधियाचन के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

**सन्दर्भः–** **अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या– 1711/III (1)/15–56(अधि0)/2008 दिनांक 21.11.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 462/XXX (2)03(11)/15 दिनांक 17.11.15 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के कम में समूह 'ख' तथा समूह 'ग' के अन्तर्गत रिक्तियों तथा 02 वर्ष के अन्दर घटित होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों को आगणित करते हुए रिक्तियों का अधियाचन तैयार कर चयन संस्था/शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1404/28व्यघ–सा0/14 दिनांक 14.08.14 द्वारा पूर्व में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) का सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन शासन को प्रेषित किया गया था, जो कि शासन के पत्र संख्या– 1577/III(1)13–131(अधि0)/06 दिनांक 21.08.2014 से आयोग को भी प्रेषित किया जा चुका है।

शासनादेश संख्या– 245/III(1)/13–190 (PWD) / 2001, दिनांक 28.02.2015, 1399/III(1)/15 – 190 (PWD) 2001, टी0सी0 दिनांक 23.09.2015 एवं शासनादेश संख्या– 1813/III(1)/15–190 (PWD) / 2001 दिनांक 15.12.2015 एवं से कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के 18 अतिरिक्त पद स्वीकृत होने के फलस्वरुप कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के वर्तमान में कुल 112 पद स्वीकृत है। जिसमें से 50 प्रतिशत पदोन्नति हेतु कोटे के है एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के है। अगामी 02 वर्षो में सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/ यांत्रिक) पदों में कोई घटित रिक्तियां नही है।

अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के अतिरिक्त पद स्वीकृत होने के फलस्वरुप सीधी भर्ती के 09 पदों का अधियाचन प्रपत्र–1 एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवानियमावली 2007 की छायाप्रति संलग्न कर लोक सेवा आयोग को भेजे जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– 1. अधियाचन
2. सेवा नियमावली, 2007 की छायाप्रति

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

# अधियाचन प्रपत्र–1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | (क) | पद का नाम | कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)<br>कुल स्वीकृत पद– 112<br>सीधी भर्ती के पद– 56<br>पदोन्नति के पद @ 50%– 56 |
| | (ख) | क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था–<br>यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ– | शासनादेश संख्या–245 / III(1) / 13–190 (पी0डब्लू0डी0) / 2001, दिनांक 28.02.2015, 1399 / III(1) / 15–190 (पी0डब्लू0डी0) 2001, टी0सी0 दिनांक 23.09.2015, शासनादेश संख्या– 1288 / III(1) / 14–190 (पी0डब्लू0डी0) 2001 टी0सी0 दिनांक 30.06.2014 एवं शासनादेश संख्या– 1813 / III (I) / 15–19 –190 (पी0डब्लू0डी0) / 2001 दिनांक 15.12.2015 |
| | (1) | क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है– | जी हाँ, वर्ष 2011 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है। |
| | (2) | यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है– | वर्ष 2011 से |
| | (3) | क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये– | उपरोक्तानुसार |
| | (4) | यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही की जा सकी– | – |
| | (I) | क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र मे है– | जी हाँ। |
| | (II) | सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा। |
| | (III) | क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है– | जी हाँ। |
| | (ग) | स्वीकृत पदों की संख्या– | 112–56*=56<br>*50% प्रतिशत कोटे के अर्न्तगत पदोन्नति के पद |
| | (घ) | स्वीकृत पदो के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल सं0– | 21 |
| | (ड) | स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल सं0– | 26* + 9=35<br>26* पदों का अधियाचन पूर्व में माह 08/14 को आयोग को भेजा गया है। |
| | (च) | भरे जाने वाले पदों की सं0– | 9 |
| | (1) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जाति के अभ्यर्थियों के लिये– | 2 |
| | (2) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु0जनजाति के अभ्यर्थियो के लिये– | – |
| | (3) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियो के लिये– | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (4) | अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये– | 4 |
| | (छ) | क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तियां प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। | हॉं, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–1454 / कार्मिक–2–2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. सामान्य का रोस्टर क्रमांक:– 52, 53, 55, 57<br>2. अनुसूचित जाति का रोस्टर क्रमाक :– 51,56<br>3. अन्य पिछड़ा वर्ग का रोस्टर क्रमाक :– 54, 63, 70 |
| | (ज) | क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जाये– | – |
| | (1) | उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियो के लिये– | 3 |
| | (2) | उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | 1 |
| | (3) | उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलाग अभ्यर्थी के लिये– | 0 |
| | | (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| | | (ख) श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| | | (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिकीय अंगता के लिये– | – |
| | | टिप्पणी:– शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए। | – |
| | (4) | उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये– | 2 |
| | | (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये– | – |
| | | (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये– | – |
| 2 | | क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलाग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ? | हॉं। |
| 3 | | क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | अराजपत्रित। |
| 4 | | क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा– | स्थायी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | | पद का वेतनमान – (बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 6 | | क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक– | वेतन बैण्ड–3<br>रू0 9300–34800+ ग्रेड पे रू0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते। |
| 7 | | क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का– | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 8 | | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– | 02 वर्ष |
| 9 | | पद के कर्तव्य– | मार्ग/सेतु/भवन कार्यो का निर्माण/रखरखाव एंव टैक्नीकल कार्य । |
| 10 | | चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा– | नियुक्ति के एक माह के अन्दर। |
| 11 | | क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है? | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार। |
| 12 | | कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे निः शुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि। | जी नही। |
| 13 | | अपेक्षित अर्हतायें– | |
| | (क) | अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित है– | डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। |
| | (ख) | अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो– | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–<br>(क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ,या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो,और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण |
| | (ग) | कोई अन्य अर्हताएं– | कोई नही। |
| | (घ) | यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है– | जी नही। |
| | (ङ) | क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए– | जी नही। |
| 14 | | पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है– | शासनादेश संख्या– 3295/III(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |
| | | टिप्पणी:– सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की पूर्ण प्रतियाँ संलग्न की जाय। | |
| 15 | | आयु सीमायें– | उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 |
| | (क) | निम्न आयु सीमा– | 21 वर्ष। संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004 |
| | (ख) | अधिकतम आयु सीमा– | 42 वर्ष। दिनांक 25.02.2014,के- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ग) | क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस–किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है– | शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष का शिथिलीकरण।<br>शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष का शिथिलीकरण। |
| | (घ) | आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय– | भर्ती वर्ष के प्रथम जुलाई को आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष। |
| 16 | | अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है– | भारतीय। |
| 17 | | अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है– | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:<br>परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। |
| 18 | | अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।<br>टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें। |
| 19 | | अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थ्यता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है– | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र |
| 20 | | क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हाँ तो पुरूष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डो का उल्लेख किया जाय | जी नहीं। |
| 21 | | क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हाँ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तों को बताइये, जो उनके पदों में शिथिल की जायेगी। | आयु सीमा के अन्तर्गत योग्यताधारक पात्र है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | | क्या अधियाचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय– | हॉं, शासनादेश संख्या– 3295/ II(1)/07–39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |

अधियाचक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम– (एच0के0 उप्रेती)

पद नाम–प्रमुख अभियन्ता

## विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदों की संख्या– 112
सीधी भर्ती के पद–56
पदोन्नति के @50%–56

| क्र0 सं0 | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | महिला 30 % | विकलांग 3 % | भू0पू सैनिक 5 % | स्व0सं0से0 आश्रित 2 % | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अनारक्षित 63 % | 35 | 11 | 04 | 01 | - | 01 | - | 02 |
| 2 | अनुसूचित जाति 19 % | 11 | 06 | 02 | 01 | - | 01 | - | 02 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति 04 % | 02 | 02 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 08 | 02 | 03 | 01 | - | - | 01 | 02 |
| | योग | 56 | 21 | 09 | 03 | - | 02 | 01 | 06 |

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 21-15

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

***OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND***

**Website-http://pwd.uk.gov.in** **E-Mail-eicpwduk@nic.in.**

पत्रांकः- 634 /28 व्यघ-सा0/16 दिनांक 06 /05/2016

सेवा में,

उप सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः- **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के प्रेषित संशोधित अधियाचन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या- 112/XXX (2) 2016 दिनांक 04.05.2016 द्वारा सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 04.05.16 को हुई बैठक के कम में शासन द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या- 556/28 व्यघ-16 दिनांक 19.04.16 से कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के संशोधित अधियाचन में प्रेषित की गई सूचना को पुनः संशोधित कर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त कम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या- 1404 /28 व्यघ-14 दिनांक 14.08.14 से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती का 249 पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया, जिन्हें भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, किन्तु वर्ष 2015 में विभागीय पदों का पुर्नगठन होने के फलस्वरुप कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के पूर्व में स्वीकृत 941 पदों में कटौती करते हुए 888 पद स्वीकृत किये गये। पदो के कम होने के फलस्वरुप इस कार्यालय के पत्र संख्या- 2333/28 व्यघ-सा0/15 दिनांक 19.12.15 द्वारा 160 पदों का संशोधित अधियाचन प्रेषित किया गया। पूर्व में दिनांक 14.08.14 से प्रेषित अधियाचन में विकलांग कोटे की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण क्षैतीज आरक्षण के अन्तर्गत विकलांग श्रेणी में उनकी उपश्रेणी का अधियाचन त्रुटिवश नही भेजा गया, किन्तु संशोधित अधियाचन में क्षैतीज आरक्षण के अन्तर्गत विकलांग श्रेणी में उपश्रेणी को भी सम्मिलित किया गया।

आयोग के पत्र दिनांक 19.03.16 से स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में सम्मिलित श्रेणी/ उपश्रेणी में ही पदों को घटाया/ बढ़ाया जा सकता है। तथा जिन श्रेणियों / उप श्रेणियों के पद विज्ञापित नही हुए है। उन श्रेणियों के पदों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता है। चूँकि संशोधित अधियाचन में विकलांग के पदों की श्रेणी/उपश्रेणी प्रेषित की गई है तथा पूर्व में दिनांक 14.08.14 से प्रेषित अधियाचन में उपरोक्तानुसार स्थिति नही भेजी गई थी।

अतः 160 पदों का संशोधित अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत विकलांग कोटे के सम्मिलित पदों को विज्ञप्ति प्रकाशित न होने के कारण अनुसूचित जाति श्रवण ह्रास उपश्रेणी PD 03 पद, अनुसूचित जनजाति श्रवण ह्रास उपश्रेणी PD 01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग चलन क्रिया उपश्रेणी OA 01 के पदों को छोड़ते हुए शेष पदों पर चयन कर लिया जाय।

उक्त रोके गये पदों को आगामी अधियाचन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। विकलांग श्रेणी में उपश्रेणी ओ0ए0/ओ0एल के पदों को चिन्हित कर सारणी संलग्न है।

अतः शासन से अनुरोध है कि तदनुसार आयोग को अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- यथोक्त।

6/5

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मु0)

## विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

### कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण/विकलांग जन के श्रेणी सहित पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदों की संख्या– 888
सीधी भर्ती के पद–844
पदोन्नति के @05%–44

| क्र0 सं0 | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | रिक्त पदों में से विनियमितिकरण किये जाने हेतु छोड़ गये पद | कुल अवशेष रिक्त पद | महिला 30 % | विकलांग 3 % (श्रेणी सहित) | भू0पू0 सैनिक 5 % | स्व0सं0 सै0 आश्रित 2 % | योग | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | अनारक्षित 63 % | 532 | 431 | 101 | 28 | 73 | 22 | 8 (अग्रेनित) +2 (घटित रिक्ति) = 10<br>(श्रेणी (PD) श्रवण ह्रास– 7 पद)<br>(श्रेणी (OL)=1 पद)<br>(श्रेणी (OA)=2 पद) | 4 | 1 | 37 | |
| 2 | अनुसूचित जाति 19 % | 160 | 122 | 38 | 5 | 33 | 10 | 3(अग्रेनित) +1(घटित रिक्ति) = 4<br>(श्रेणी (PD) श्रवण ह्रास– 3 पद)<br>(श्रेणी (OA)=1 पद) | 2 | 1 | 17 | विकलांग श्रेणी जन में उपश्रेणी PD के 03 पद की विज्ञप्ति प्रकाशित न होने के कारण वर्तमान में चयन में सम्मिलित न किया जाय। इन पदों को आगामी अधियाचन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। |
| 3 | अनुसूचित जनजाति 04 % | 34 | 24 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1(अग्रेनित)<br>(श्रेणी (PD) श्रवण ह्रास–1 पद) | - | - | 3 | विकलांग श्रेणी जन में उपश्रेणी PD के 01 पद की विज्ञप्ति प्रकाशित न होने के कारण वर्तमान में चयन में सम्मिलित न किया जाय। इन पदों को आगामी अधियाचन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 118 | 69 | 49 | 2 | 47 | 14 | 2(अग्रेनित) +1(घटित रिक्ति) =3<br>(श्रेणी (PD) श्रवण ह्रास–2 पद)<br>(श्रेणी (OA) –1 पद) | 2 | 1 | 20 | विकलांग श्रेणी जन में उपश्रेणी OA के 01 पद की विज्ञप्ति प्रकाशित न होने के कारण वर्तमान में चयन में सम्मिलित न किया जाय। इन पदों को आगामी अधियाचन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। |
| | योग | 844 | 646 | 198 | 38 | 160 | 48 | 18 | 8 | 3 | 77 | |

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मु0)